

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द  
मुकदमा नम्बर 93 / 2023 अनवान शंकर लाल बनाम ...

दिनांक  
30/5/25

कार्यवाही विवरण  
पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित।  
वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी  
गण एवं उनके अधिवक्ता को रूक-रूक कर कई बार  
आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी गण न  
ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त  
होने तक वादी/प्रार्थी गण की ओर से कोई भी उपस्थित  
नहीं हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी  
गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया  
है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण में कोई कार्यवाही  
नहीं चाहते हैं अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना  
पत्र के प्रति गम्भीर नहीं हैं।

अतः वादी/प्रार्थी गण की ओर से प्रकरण में पैरवी  
हेतु किसी के भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर  
पर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद  
दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेश गुप्ता R.A.S.)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
राजसमंद

हस्ताक्षर